

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/229/2012/ 1064

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य उमावि का स्वेच्छिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

स. क्र.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत् संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्री रजनीश चड्ढा	AB7546	शा. उमावि गणेशगंज रांझी जिला जबलपुर	शा. उमावि करोंदीग्राम जिला जबलपुर 23390277701

2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(Signature)

आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 13/7/2012

पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/229/2012/ 1065
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संस्था प्राचार्य
10. संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(Signature)

आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था01/राज/पी/224/2012/ 1066

भोपाल दिनांक 13/7/2012

// संशोधन आदेश //


लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था-1/राज/पी/224/2012/1043-1044 दिनांक 12.07.2012 के स.क्र. 01 पर अंकित श्री दीपक ओझा प्राचार्य शा0 उर्दू उमावि0 परदेशीपुरा खण्डवा की स्थानान्तरित संस्था शा बालक उमावि नागदा जिला उज्जैन के स्थान पर शा.उत्कृठ रायचन्द नागडा बा.उ.मा.वि.खण्डवा (डाइस कोड 23290777702) पढ़ा जावे।


आयुक्त 13/7
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/स्था.1/राज/पी/208/2012/ 1067
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

- 1 निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
- 2 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 3 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 4 संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
- 5 संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
- 6 संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
- 7 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
- 8 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
- 9 संबंधित संस्थाम0प्र0।
- 10 संबंधित जन
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


आयुक्त 13/7
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/202/2012/ 1068

भोपाल, दिनांक 13/7/2012


//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य उमावि का प्रशासनिक आधार पर समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है :-

स. क्र.	नाम एवं पद	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्री जे. के. इरपाची	AH3393	शा. उ.मा.वि. सारना जिला छिंदवाड़ा	शा. क.उ.मा.वि. परासिया जिला छिंदवाड़ा 23430377702

- 2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये ।
- 3/ यदि किसी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये ।
- 4/ यदि किसी प्राचार्य को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो पुनः उसी स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त / पदभार ग्रहण न कराया जाए ।
- 5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा ।
- 6/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा ।
- 7/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वार्इन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जाएगा ।
- 8/ उपरोक्त स्थानान्तरण से उमावि संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाए ।
- 9/ जो प्राचार्य वर्तमान कार्यरत संस्था में तीन वर्ष या इससे कम अवधि से पदस्थ है, उन्हें नवीन संस्था हेतु कार्यमुक्त न किया जाए । यदि प्राचार्य स्वेच्छा से स्थानांतरित संस्था हेतु जाना चाहता है तो उससे इस संबंध में आवेदन प्राप्त कर स्थानांतरित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए ।
- 10/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।


“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-

- 1 निज सचिव. माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
 - 2 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
 - 3 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
 - 4 संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
 - 5 संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
 - 6 संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
 - 7 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... मध्यप्रदेश।
 - 8 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
 - 9 संबंधित संस्था प्राचार्यमध्यप्रदेश।
 - 10 संबंधितजन
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्रमांक/स्था01/राज./पी/202/2012/

1070

भोपाल दिनांक 13/7/2012

// संशोधन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक स्था-1/राज/सी/82/2012/714-715 दिनांक 15.05.2012 द्वारा प्राचार्य उमावि के स्वेच्छा के आधार पर स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए थे। उक्त आदेश के स.क्र. 27 पर अंकित श्री डी. पी. डहरवार (AN3121) प्राचार्य की स्थानान्तरित संस्था शा. नवउन्नत उमावि रामाकोना जिला छिंदवाड़ा को स्वेच्छा के आधार पर आंशिक संशोधन करते हुए शा. उमावि सारना जिला छिंदवाड़ा (डाईस कोड 23430177710) में स्थानान्तरण किया जाता है।



आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/स्था.1/राज/सी/202/2012/
प्रतिलिपि :-

1071

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
4. कलेक्टर जिला बैतूल / छिंदवाड़ा म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला बैतूल / छिंदवाड़ा म.प्र.।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम / जबलपुर संभाग म.प्र.।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, बैतूल / छिंदवाड़ा म.प्र.।
8. कोषालय अधिकारी जिला बैतूल / छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संस्था
10. संबंधितजन
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/216/2012/ 1072

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

// आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य उमावि का प्रशासनिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।


स. क्र.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्रीमती शीला चौहान	AL7917	शा. क. उमावि बाबई जिला होशंगाबाद	शा. उमावि चकल्दी नसरुल्लागंज जिला सीहोर 23330477707
2	श्री विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी	AV7912	शा. उमावि हाटी सोहावल जिला सतना	शा. उमावि ऊचाटोला जिला रीवा 23140877709
3	श्री आर. सी. शर्मा	AY5471	शा. उमावि भानगढ़ जिला सागर	शा. उमावि तारादेही तेंदूखेड़ा जिला दमोह 23120577705
4	श्री के. के. तिवारी	-	प्रभारी प्राचार्य डाईट रीवा	शा. उत्कृष्ट उमावि रीवा 21401377701

- 2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 3/ यदि किसी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये।
- 4/ यदि किसी प्राचार्य को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो पुनः उसी स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त / पदभार ग्रहण न कराया जाए।
- 5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।
- 6/ कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

08

- 7/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जाएगा ।
- 8/ उपरोक्त स्थानान्तरण से उमावि संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाए ।
- 9/ जो प्राचार्य वर्तमान कार्यरत संस्था में तीन वर्ष या इससे कम अवधि से पदस्थ है, उन्हें, नवीन संस्था हेतु कार्यमुक्त न किया जाए । यदि प्राचार्य स्वेच्छा से स्थानांतरित संस्था हेतु जाना चाहता है तो उससे इस संबंध में आवेदन प्राप्त कर स्थानांतरित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए ।
- 10/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”



आयुक्त 13/7
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/216/2012/ 1073
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश ।
9. संबंधित संस्था म0प्र0 ।
10. संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


आयुक्त 13/7
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/216/2012/ 1074

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य उमावि का स्वेच्छिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

स. क्र.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्रीमती भगवती सोलंकी	BA1823	शा. उमावि सुसनेर जिला शाजापुर	शा उमावि झोंकर जिला शाजापुर 23220666604

2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3/ उपरोक्त स्थानान्तरण से उमावि संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाए।

4/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(Signature)

आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/216/2012/ 1075
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संस्था प्राचार्य
10. संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(Signature)

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/242/2012/ 1076

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य उमावि का प्रशासनिक आधार पर समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है :-

स. क्र.	नाम एवं पद	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्री बृजेश मिश्रा	-	कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा	शा. उ.मा.वि. पिण्डरा मझगवां जिला सतना

- 2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये ।
- 3/ यदि किसी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये ।
- 4/ यदि किसी प्राचार्य को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो पुनः उसी स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त / पदभार ग्रहण न कराया जाए ।
- 5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा ।
- 6/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा ।
- 7/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वॉइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जाएगा ।
- 8/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"

(Signature)

आयुक्त 1317


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/242/2012/ 1077
प्रतिलिपि:-

- 1 निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
- 2 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

- 3 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 4 संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश ।
- 5 संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश ।
- 6 संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
- 7 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... मध्यप्रदेश ।
- 8 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश ।
- 9 संबंधित संस्था प्राचार्यमध्यप्रदेश ।
- 10 संबंधितजन
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


आयुक्त 13/17
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/209/2012/ 1084 भोपाल, दिनांक 13/7/2012

// आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य उमावि का प्रशासनिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है:-

स. क.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्री अजय माहोरे	AU5257	शा उमावि बेरडी सौंसर जिला छिंदवाड़ा	शा. उत्कृष्ट बा. उमावि सौंसर जिला छिंदवाड़ा 23430677701
2	श्री मनोहर गावण्डे	AH1231	शा उमावि हिवरखेड़ प्रभातपट्टन जिला बैतूल	शा. उमावि तुर्कीखापा मोहखेड़ जिला छिंदवाड़ा 23430277709
3	श्रीमती पुष्पा शर्मा	AT7359	शा. उमावि मुगालिया छाप जिला भोपाल	शा. महात्मा गांधी उमावि भेल भोपाल 23320377705
4	श्रीमती उमा शशि सिंसौदिया	-	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर	शा. उत्कृष्ट उमावि बालविनय मंदिर इंदौर 23260177724
5	श्री कैलाश प्रसाद शर्मा	AL6182	शा. उमावि मांदला जिला हरदा	शा. उमावि सांडिया जिला होशंगाबाद 23370677705
6	श्री एस. के. नघा	AL7019	शा.क.उ.मा.वि. टिमरनी जिला हरदा	शा. उमावि मिसरोद जिला होशंगाबाद 23370377706
7	श्रीमती सपना श्रीवास्तव	BR6257	शा. उमावि सरदार नगर सीहोर	शा. बा. उमावि बैरागढ भोपाल 23320377701
8	श्रीमती वंदना मिश्रा	AX7148	शा. उमावि ललरिया बैरसिया जिला भोपाल	शा. क. उमावि हमीदिया क्र. 2 भोपाल 23320377714
9	श्रीमती अर्चना शर्मा	AA4171	शा.क.उ.मा.वि. आष्टा जिला सीहोर	शा. क. उमावि तुलसी नगर भोपाल में श्रीमती रेखा पटेल की पदोन्नति से पद रिक्त होने पर 23320377718

08

10	श्री भारत सोनी	AH3850	शा. उमावि बोहनाखैरी जिला छिंदवाड़ा	शा. उ.मा.वि. रोहनकलां जिला छिंदवाड़ा 23430177706
11	श्री राजमणि सिंह	BC7050	शा. उमावि बघवार जिला सीधी	शा. क. उमावि रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा 23140277701
12	श्री आर. एस. तिवारी	AX9999	शा. उमावि सर्रा जिला दमोह	शा. उमावि जैतपुर कोपरा देवरी जिला सागर 23110677706
13	श्री यादोराव गजभिये	AC9247	शा. उमावि नेवरगांव जिला बालाघाट	शा. उमावि बुदबुदा जिला बालाघाट 23450777705
14	श्री राजेन्द्र कुमार रैकवार	AS8511	शा. उमावि बीरा जिला पन्ना	शा. क.उ.मा.वि. अजयगढ़ जिला पन्ना 23100177702
15	श्री जी. डी. गधेवाल	AS2669	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर	शा. उत्कृष्ट उमावि नरसिंहपुर 23400877702
16	श्री श्रीराम धुर्वे	AH5337	शा. उमावि सावंगा जिला छिंदवाड़ा	शा. उमावि रिधौरा जिला छिंदवाड़ा 23430377715
17	श्री बी. आर. चन्द्रेश्वर	AC7930	शा. उमावि मोहगांव लालबर्रा जिला बालाघाट	शा. उमावि जाम जिला बालाघाट 23450377709
18	श्रीमती पुष्पा डेकाटे	AD3920	शा. उमावि जाम जिला बालाघाट	शा. उमावि मोहगांव जिला बालाघाट 23450666604
19	श्री एस. एल. उइके	AI2022	शा. उत्कृष्ट उमावि अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा	शा. उमावि पेढ देवरी, जिला छिंदवाड़ा 23430977710
20	श्री खलील खान	BN6140	शा. उमावि पेढदेवरी जिला छिंदवाड़ा	शा. उत्कृष्ट उमावि अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा 23430977704
21	श्री एल. आर. माथनकर	AE7446	शा. उमावि बोरदेही जिला बैतूल	शा. उमावि जम्बाडा जिला बैतूल 23350177706
22	श्री इन्द्रमोहन भीमनवार	AH3137	शा. एमएलबी क. उमावि छिंदवाड़ा	शा. उत्कृष्ट उमावि छिंदवाड़ा 23430177702


08

23	श्री बी. सी. वाडिवा	AH1336	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा	शा. एमएलबी क. उमावि छिंदवाड़ा 23430177701
24	श्री राकेश दीक्षित	AE8192	शा. उमावि साईंखेड़ा मुलताई जिला बैतूल	शा. उत्कृष्ट उमावि बैतूल 23350377701
25	श्री आर. के. खरे	AY2043	शा. क. उमावि गौरझामर जिला सागर	शा. उत्कृष्ट उमावि सागर 23111077701
26	श्री अशोक श्रीवास्तव	BB6756	शा. क. उमावि क्र. 2 शिवपुरी	शा. उमावि क्र. 1 शिवपुरी 23060177701
27	सुश्री चित्रा व्यास	AU6455	शा. बा. उमावि नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़	शा. क. उमावि सारंगपुर जिला राजगढ़ 23300477702
28	श्री मकरंद जाटव	AE3202	शा. उमावि खेड़ा जिला हरदा	शा. उमावि कौडिया जिला नरसिंहपुर 23400677705
29	श्री गुरुजीत सिंह	BA6201	शा. उमावि प्रेमसर जिला श्योपुर	शा. उत्कृष्ट उमावि श्योपुर 23010977701
30	श्रीमती रीना धनगर	AI7189	शा. उमावि बीकर जिला दतिया	शा. क. उ. मा. वि. इंदरगढ़ जिला दतिया 23050277703
31	श्री ए. के. जैन	AK5405	शा. उत्कृष्ट उमावि अशोकनगर	शा. उमावि बहादुरपुर, मुगांवली जिला अशोकनगर 23460877705
32	श्री हीरालाल पटेल	AW1110	शा. उमावि बड़ा इटमा रामनगर जिला सतना	शा. उमावि मगरौती रामनगर जिला सतना में श्री रामप्रताप पटेल की सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पद पर 23130777709
33	श्री बी. एल. साकेत	AW1271	शा. उमावि देवराजनगर जिला सतना	शा. उमावि बड़ा इटमा जिला सतना 23130777707
34	श्री एस. के. शर्मा	BB2267	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर	शा. उत्कृष्ट उमावि मुरार ग्वालियर 23040577707
35	श्री अनिरुद्ध कुरारिया	AN7634	शा. उमावि मुरवारी जिला कटनी	शा. उमावि मडियादो हटा जिला दमोह 23120477703

36	श्रीमती सुजाता बांगरे	AC6407	शा. उमावि टेमनी जिला बालाघाट	शा. उमावि कलारबाकी जिला सिवनी 23440166610
37	श्रीमती ज्योति भालेराव	AH2329	शा. उमावि न्यूटन चिखली जिला छिंदवाड़ा	शा. उत्कृष्ट उमावि परासिया जिला छिंदवाड़ा 23430377701
38	श्री सुरेश शर्मा	AL8052	शा. बा.उमावि शाहगंज सीहोर	शा. एस.एन.जी. उमावि होशंगाबाद में श्री आर. के. दुबे की दिनांक 31.07.2012 को से.नि. उपरांत रिक्त होने पर 23370377703

- 2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये ।
- 3/ यदि किसी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये ।
- 4/ यदि किसी प्राचार्य को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो पुनः उसी स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त / पदभार ग्रहण न कराया जाए ।
- 5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा ।
- 6/ कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा ।
- 7/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जाएगा ।
- 8/ उपरोक्त स्थानान्तरण से उमावि संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाए ।
- 9/ जो प्राचार्य वर्तमान कार्यरत संस्था में तीन वर्ष या इससे कम अवधि से पदस्थ है, उन्हें नवीन संस्था हेतु कार्यमुक्त न किया जाए । यदि प्राचार्य स्वेच्छा से स्थानांतरित संस्था हेतु जाना चाहता है तो उससे इस संबंध में आवेदन प्राप्त कर स्थानांतरित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए ।
- 10/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


 आयुक्त 13/7
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/209/2012/
प्रतिलिपि:-

1085

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संस्था म0प्र0।
10. संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


13/7

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/209/2012/ 1086

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य उमावि का स्वेच्छिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है:-


स. क्र.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्री हरिशंकर मेहरा	AR8029	शा. क. उमावि तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर	शा. उमावि चांवरपाठा जिला नरसिंहपुर 23400677707
2	श्री अहमद हुसैन शाह	AQ8410	शा. उमावि डीकेन, जावद जिला नीमच	शा. उमावि जावी जिला नीमच 23180777704
3	श्री टीकाराम प्रजापति	AI7102	शा. उमावि थरेट जिला दतिया	शा. उमावि दिगुंवा जिला दतिया 23050277704
4	श्री दुलीचंद उइके	AY9010	शा. उमावि इकलहरा परासिया जिला छिंदवाड़ा	शा. उमावि बखारी जिला सिवनी 23440177710
5	श्री अशोक कुमार उइके	AZ5911	शा. उमावि टॉप चौरई जिला छिंदवाड़ा	शा. उमावि बोरीकलां बरघाट जिला सिवनी
6	श्री मनमोहन तिवारी	AM3497	कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर संभाग इंदौर	शा. उमावि नंदानगर जिला इंदौर 23260177713
7	श्री डी. आर. युवने	AM2260	शा. उ.मा.वि. मिसरौद जिला होशंगाबाद	शा.क.उ.मा.वि.टिमरनी जिला हरदा 23360277701
8	श्री नरेन्द्र कुमार अहिरवार	BF3944	शा. क. उमावि लटेरी जिला विदिशा	शा. उत्कृष्ट उमावि नटेरन जिला विदिशा 23310577702
9	श्री मनोहरलाल जाटव	AV8854	शा. उमावि सिजहटा जिला सतना	शा. उमावि इचौल उचेहरा जिला सतना 23130577706
10	श्री दुलीचन्द्र सैते	BK4183	शा. उत्कृष्ट उमावि बड़नगर उज्जैन	शा. उमावि कोद जिला धार 23250177703

11	श्री घीसालाल चौहान	AS4882	शा. क. उमावि जावद जिला नीमच	शा. बा. उमावि पिपल्या जिला मंदसौर 23190477702
12	श्री एस. एन. द्विवेदी	BE7695	शा. उमावि उमरिया जिला बैतूल	शा. उमावि पटेहरा जिला रीवा 23140977707
13	श्री निर्मल नोयल केलिब	AM2871	शा. उमावि सांगाखेड़ाकला जिला होशंगाबाद	शा. उमावि शहीदनगर रामपुर जिला होशंगाबाद 23370377709

2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

3/ उपरोक्त स्थानान्तरण से उमावि संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाए।

4/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।



आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 13/7/2012

पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/209/2012/ 1087
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संस्था प्राचार्य
10. संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


आयुक्त 13/7
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/208/2012/ 1090

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

// आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य उमावि का प्रशासनिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

स. क्र.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मधुबाला तिवारी	AB5930	शा. बा. उमावि पाटन जिला जबलपुर	शा. उमावि कुडारी उमरिया जिला जबलपुर 23390177712
2	श्री आर. के. बक्शी, प्राचार्य हाईस्कूल	AR8550	प्रभारी प्राचार्य शा. उमावि कुडारी उमरिया जिला जबलपुर	प्रभारी प्राचार्य शा. बा. उमावि पाटन जिला जबलपुर 23390577701
3	श्री सतीष उदासी	AU6073	शा. उत्कृष्ट उमावि टिमरनी हरदा	शा. नेहरू उमावि बानापुरा सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद 23370777703
4	श्री नजर सिंह परिहार	AL7129	शा. नेहरू उमावि बानापुरा सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद	शा. उमावि बावडिया भाऊ सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद 23370777707
5	श्रीमती रेखा बाथम	AK7999	शा. उमावि जीवाजीगंज ग्वालियर	शा. उमावि सांखनी भीतरवार जिला ग्वालियर 23040277705


2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3/ यदि किसी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये।

4/ यदि किसी प्राचार्य को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो पुनः उसी स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त / पदभार ग्रहण न कराया जाए।




- 5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा ।
- 6/ कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा ।
- 7/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जाएगा ।
- 8/ उपरोक्त स्थानान्तरण से उमावि संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाए ।
- 9/ जो प्राचार्य वर्तमान कार्यरत संस्था में तीन वर्ष या इससे कम अवधि से पदस्थ है, उन्हें नवीन संस्था हेतु कार्यमुक्त न किया जाए । यदि प्राचार्य स्वेच्छा से स्थानांतरित संस्था हेतु जाना चाहता है तो उससे इस संबंध में आवेदन प्राप्त कर स्थानांतरित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए ।
- 10/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
- “प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


 आयुक्त 13/7
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/208/2012/ 1091
 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश ।
9. संबंधित संस्था म0प्र0 ।
10. संबंधित जन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


 आयुक्त 13/7
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/208/2012/ 1092

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य उमावि का स्वेच्छिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

स. क.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	डॉ. श्रीमती सावित्री शर्मा	AB7379	शा. उमावि किशनगढ़ जिला पन्ना	शा. उमावि खितौला बाजार जिला जबलपुर 23390277701

- 2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 3/ उपरोक्त स्थानान्तरण से उमावि संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाए।
- 4/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(Signature)
आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 13/7/2012

पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/208/2012/ 1093
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संस्था प्राचार्य
10. संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(Signature)
आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश